जे.पी.आर.5– 872

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – se_comml@yahoo.in

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी–I/एफ. /प्रे0 719 जयपुर, दिनांक– 28.06.2017

आदेश

विषयः– विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रायः यह देखा गया है कि सहायक अभियंता कार्यालय द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय को सर्विस जॉब आर्डर एवं सर्विस कनेक्शन आदेश प्रेषित किये जाने के पश्चात् लम्बे समय तक उनकी पालना नहीं की जाती है। जिसके कारण आवेदक विद्युत का दुरूपयोग अथवा चोरी जैसे कार्यो में संलिप्त हो जाते है। जिसके फलस्वरूप निगम को राजस्व की हानि होती है एवं विद्युत छीजत मे वृद्धि भी होती है।

विद्युत कनेक्शन समय से जारी करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतू एक बार मे अधिकतम 5 सर्विस जॉब आर्डर एवं 5 सर्विस कनेक्शन आदेश (वरीयता अनुसार) ही पालना हेतू भेजे जावें एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा ठेकेदार को अधिकतम 5 जॉब आर्डर से सम्बन्धित सामान ही जारी किया जावे एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उक्त जॉब आर्डर/कनेक्शन आदेशों की पालना करने के पश्चात् ही अगले 5 जॉब आर्डर/कनेक्शन आदेश पालना हेतू प्रेषित किये जावें। उपखण्ड कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी (ARO) जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों का दो माह के अन्दर प्रथम विद्युत विपत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR